उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग–3
संख्या–50 / 2024 / 1723 / तीस–3–2024
लखनऊ : दिनांक : 30 जून, 2024

<u>कार्यालय-आदेश</u>

तात्कालिक प्रभाव से श्री राम रतन, तत्कालीन सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), झांसी सम्प्रति नवप्रोन्नत उप परिवहन आयुक्त को पदोन्नति के उपरान्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), कानपुर के पद / स्थान पर एतद्द्वारा पदस्थापित करते हुए, तैनात किया जाता है।

2– श्री राम रतन उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(2) संबंधित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी।
(3) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया स्थानान्तरण आदेश की प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराकर कार्यमुक्ति एवं कार्यभार–ग्रहण आदि के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4 / 2024 / 144–सामान्य / सैंतालिस–का–4–2024–1 / 3 / 96, दिनांक 11 जून, 2024 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
(4) संबंधित कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
(5) संबंधित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उ0प्र0।
(6) संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी, उ0प्र0।
(7) संबंधित अधिकारी।
(8) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

के0 पी0 सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।